

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or distributed in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Managing Editor of the *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)*.

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles published in this journal are solely those of the respective authors. They do not necessarily reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, or the Publisher of IJLRA.

Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy, authenticity, and proper citation of the content published in this journal, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible, in any manner whatsoever, for any loss, damage, or consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the information contained in this publication.

The content published herein is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice or professional opinion.

**Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis.
All rights reserved.**

ABOUT US

The *International Journal for Legal Research & Analysis (IJLRA)* (ISSN: 2582-6433) is a peer-reviewed, academic, online journal published on a monthly basis. The journal aims to provide a comprehensive and interactive platform for the publication of original and high-quality legal research.

IJLRA publishes Short Articles, Long Articles, Research Papers, Case Comments, Book Reviews, Essays, and interdisciplinary studies in the field of law and allied disciplines. The journal seeks to promote critical analysis and informed discourse on contemporary legal, social, and policy issues.

The primary objective of IJLRA is to enhance academic engagement and scholarly dialogue among law students, researchers, academicians, legal professionals, and members of the Bar and Bench. The journal endeavours to establish itself as a credible and widely cited academic publication through the publication of original, well-researched, and analytically sound contributions.

IJLRA welcomes submissions from all branches of law, provided the work is original, unpublished, and submitted in accordance with the prescribed submission guidelines. All manuscripts are subject to a rigorous peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, the *International Journal for Legal Research & Analysis* aspires to contribute meaningfully to legal scholarship and the development of law as an instrument of justice and social progress.

PUBLICATION ETHICS, COPYRIGHT & AUTHOR RESPONSIBILITY STATEMENT

The *International Journal for Legal Research and Analysis (IJLRA)* is committed to upholding the highest standards of publication ethics and academic integrity. All manuscripts submitted to the journal must be original, unpublished, and free from plagiarism, data fabrication, falsification, or any form of unethical research or publication practice. Authors are solely responsible for the accuracy, originality, legality, and ethical compliance of their work and must ensure that all sources are properly cited and that necessary permissions for any third-party copyrighted material have been duly obtained prior to submission. Copyright in all published articles vests with IJLRA, unless otherwise expressly stated, and authors grant the journal the irrevocable right to publish, reproduce, distribute, and archive their work in print and electronic formats. The views and opinions expressed in the articles are those of the authors alone and do not reflect the views of the Editors, Editorial Board, Reviewers, or Publisher. IJLRA shall not be liable for any loss, damage, claim, or legal consequence arising from the use, reliance upon, or interpretation of the content published. By submitting a manuscript, the author(s) agree to fully indemnify and hold harmless the journal, its Editor-in-Chief, Editors, Editorial Board, Reviewers, Advisors, Publisher, and Management against any claims, liabilities, or legal proceedings arising out of plagiarism, copyright infringement, defamation, breach of confidentiality, or violation of third-party rights. The journal reserves the absolute right to reject, withdraw, retract, or remove any manuscript or published article in case of ethical or legal violations, without incurring any liability.

आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य

लेखक - कमलेश कुमार यादव

सारांश (Abstract)

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने अपराध की प्रकृति, स्वरूप एवं अन्वेषण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में अपराध केवल भौतिक साधनों तक सीमित न रहकर डिजिटल माध्यमों—जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-मेल, सीसीटीवी एवं कॉल डिटेल् रिकॉर्ड—के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, **डिजिटल साक्ष्य** आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य अंग बन गया है।

यह शोध-पत्र आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा, विधिक मान्यता, संकलन प्रक्रिया, प्रमाणिकता, न्यायालयीन स्वीकार्यता तथा इससे संबंधित व्यावहारिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि किस प्रकार डिजिटल साक्ष्य दोषसिद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है तथा भारतीय न्यायालय इस साक्ष्य के प्रति किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं।

कुंजी शब्द (Keywords)

डिजिटल साक्ष्य, आपराधिक न्याय, धारा 63, साइबर अपराध, डिजिटल फॉरेंसिक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

1. प्रस्तावना

आधुनिक युग को डिजिटल युग कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। आज मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र—संचार, व्यापार, शिक्षा, शासन एवं न्याय—डिजिटल तकनीक से प्रभावित है। इसी के साथ अपराध भी तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं। परंपरागत अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

इन परिस्थितियों में अपराध की जाँच एवं अभियोजन में **डिजिटल साक्ष्य** की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन-ड्राइव, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप चैट, ई-मेल, GPS डेटा एवं CCTV फुटेज आज न्यायालयों में प्रमुख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

2. डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा

डिजिटल साक्ष्य से तात्पर्य ऐसे साक्ष्य से है जो **डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित, प्रेषित या उत्पन्न** होता है और जिसे किसी अपराध की जाँच या न्यायिक कार्यवाही में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जबकि **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधानिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

3. शोध के उद्देश्य

1. आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका का अध्ययन करना।
2. डिजिटल साक्ष्य की विधिक स्वीकार्यता का विश्लेषण करना।
3. धारा 63 की व्यावहारिक उपयोगिता का परीक्षण करना।
4. डिजिटल साक्ष्य से संबंधित न्यायालयीन दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
5. डिजिटल साक्ष्य के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की पहचान करना।

4. शोध परिकल्पनाएँ

1. डिजिटल साक्ष्य की उपस्थिति से दोषसिद्धि की संभावना बढ़ती है।
2. विधिसम्मत रूप से संकलित डिजिटल साक्ष्य न्यायालय में अधिक स्वीकार्य होते हैं।
3. धारा 63 डिजिटल साक्ष्य की वैधता का आधार स्तंभ है।
4. तकनीकी त्रुटियों के कारण डिजिटल साक्ष्य अस्वीकार किए जाते हैं।
5. डिजिटल साक्ष्य परंपरागत साक्ष्य की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं।

5. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र में **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति** अपनाई गई है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों—जैसे अधिनियम, न्यायालयीन निर्णय, विधिक पत्रिकाएँ, पुस्तकें एवं शोध लेख—का उपयोग किया गया है।

6. डिजिटल साक्ष्य का विधिक आधार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 62 एवं 63** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विधिक मान्यता प्रदान करती हैं। धारा 63 के अनुसार, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने हेतु उसका प्रमाणपत्र आवश्यक है।

अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीयर (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 63 का अनुपालन अनिवार्य है।

7. डिजिटल साक्ष्य एवं न्यायालयीन दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालय डिजिटल साक्ष्य के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं। न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि साक्ष्य—

- प्रामाणिक हो
- बिना छेड़छाड़ के प्रस्तुत किया गया हो
- विधिसम्मत रूप से संकलित किया गया हो

अर्जुन पंडित्राव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः धारा 63 की अनिवार्यता को दोहराया।

8. डिजिटल साक्ष्य से संबंधित चुनौतियाँ

1. छेड़छाड़ की संभावना
2. तकनीकी विशेषज्ञों की कमी
3. जाँच एजेंसियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
4. डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की सीमित संख्या
5. विधिक प्रक्रिया की जटिलता

9. सुझाव

1. पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
2. डिजिटल फॉरेंसिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
3. धारा 63 के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
4. न्यायाधीशों के लिए निरंतर तकनीकी कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

डिजिटल साक्ष्य आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। यह न केवल अपराध की सटीक जाँच में सहायक है, बल्कि दोषसिद्धि की प्रक्रिया को भी अधिक विश्वसनीय बनाता है। यद्यपि डिजिटल साक्ष्य के समक्ष अनेक तकनीकी एवं विधिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि उचित प्रशिक्षण, सुदृढ़ विधिक ढाँचे एवं न्यायालयीन मार्गदर्शन से इन चुनौतियों का समाधान संभव है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल साक्ष्य भविष्य में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ सूची (References)

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
3. अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीयर, (2014) 10 SCC 473
4. अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशानराव गोरंट्याल, (2020) 7 SCC 1
5. विभिन्न सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट निर्णय